कार्यालय जिला पंचायत–गरियाबंद (छ.ग.)

(हमर छत्तीसगढ़ योजना)

के तहत

निविदा प्रपत्र

(वाहन हेतु)

<u>किराये पर वाहन लिये जाने हेतु आवश्यक शर्ते :-</u>

1. सहमति पत्र 50/- के स्टाम्प पेपर में एवं सत्यनिष्ठा संधि (Integrity Pact) नोटरी से सत्यापित कर प्रस्तुत किया जाना है।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य 500/- रूपये (पाँच सौ रूपये) का डी.डी. (डिमांड ड्राफ्ट) जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक का हो एवं **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गरियाबंद** के नाम से देय हो, अदा कर निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकेंगे।
3. निविदाकर्ताओं को अमानत राशि रूपये 5000/- (पाँच हजार मात्र) का डी.डी. (डिमाड ड्राफ्ट) जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक का हो एवं **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गरियाबंद** के नाम से देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
4. असफल निविदाकर्ता के अमानत राशि की डी.डी. मूलतः उन्हे वापस की दी जावेगी एवं सफल निविदाकर्ता के अमान राशि निविदा की वैध तिथि तक जिला पंचायत के खाते में जमा रखी जावेगी, जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
5. निविदाकर्ता व्यक्तिगत रूप से जिन वाहनों का मालिक है केवल उन्हीं वाहनों के लिए निविदा भर सकेगा। अन्य वाहनों के लिए दिये गये प्रस्ताव अमान्य होंगे।
6. निविदाकर्ता व्यक्तिगत छत्तीसगढ़ के निवासी हो/फर्म का कार्यालय स्थापित हो इससे संबंधित अभिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। निविदाकर्ता को पैन कार्ड एवं निविदाकर्ता/फर्म का बैंक खाता पास बुक जिसमें राशि हस्तांतरण किया जाना है की छायाप्रति निविदि प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. विभागीय अधिकृत कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा समय-समय मौखिक/लिखित रूप में वाहन किराये पर परिस्थिति अनुसार मंगाये जाने पर (जो कि दो घंटे पूर्व लिखित या मौखित सूचना पर) उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
8. निविदा फर्म द्वारा वाहन संबंधित Permit अनिवार्य है। (All India Permit/All C.G. Permit/Gariaband Dist. Permit)
9. वाहन के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियमानुसार होना अनिवार्य होगा। वाहन का रोड टैक्स/बीमा/सेवा एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क आदि का भुगतान वाहन मालिक के द्वारा किया जावेगा। वाहन का रोड टैक्स व बीमा (कम्प्रेहेन्सिव) अद्यतन होना चाहिए। जिसकी छायाप्रति कार्यालय में जमा किया जाना आवश्यक होगा।
10. चयन प्रकिया L1 प्रकृति के आधार पर की जावेगी।
11. स्वीकृत दर पर वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म/संस्थान की होगी, अनुपलब्धता/विलंब तथा असंतुष्टी की स्थिति में फर्म/संस्थान के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए अपात्र घोषित कर अनुबंध तत्काल समाप्त किया जावेगा। तथा किसी अन्य शासकीय संस्थान में उक्त सेवा हेतु वर्जित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
12. वाहन चालक द्वारा तंबाकू, शराब, सिगरेट इत्यादि के सेवन एवं अभद्र व्यवहार की दशा में बिना सुचना के अनुबंध समाप्त किया जावेगा।
13. निर्धारित दर आगामी आदेश तक प्रभावशील मानी जावेगी।
14. फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदा प्रपत्रों को दो लिफाफों में पृथक-पृथक प्रथम लिफाफे में तकनीकी (सहमति पत्र सत्यनिष्ठता संधि घोषणा पत्र अमानत राशि प्रोसेसिंग शुल्क एंव अन्य दस्तावेज) एवं दूसरे लिफाफे में केवल भाव पत्र सील बंद कर उक्त दोनों लिफाफे एक बड़े

लिफाफे में सील बंद कर निर्धारित समय में जिला पंचायत कार्यालय में जमा किया जाना है। लिफाफे जमा करने से पूर्व फर्म द्वारा यह सुनिश्चित कर लें कि लिफाफे अच्छी तरह से सील बंद हो एवं अन्दर के प्रथम लिफाफे के उपर तकनीकी एवं द्वितीय लिफाफे के उपर भाव पत्र लिखा जाना अनिवार्य होगा।

15. निविदा खुलने पर सर्व प्रथम तकनीकी लिफाफा खोला जावेगा तत्पश्चात संतुष्टी की दशा में वित्तीय निविदा (भाव पत्र) खोला जावेगा।

16. किसी भी परिस्थिति में समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा, जो फर्मो को मान्य होगा।

17. निविदा प्रक्रिया की समय सीमा

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि (दोपहर 12 बजे तक) 17.../06/2016

निविदा खोलने की तिथि (दोपहर 03 बजे तक)

निविदा खोलने का स्थान :- कलेक्टर सभा कक्ष गरियाबंद

परिशिष्ठ "अ"

निविदा प्रपत्र

किराये पर हैवी वाहन लिये जाने हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र का विभागीय कमांक :— ....

निविदाकर्ता का नाम :— ....

पूर्ण पता :— ....

:— ....

:— ....

(पते के सत्यापन के संबंध में दस्तावेज अभिप्रमाणित संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा)

कार्यालय निवास :— ....

संस्थान का पूर्ण पता :— ....

सम्पर्क नम्बर :— दूरभाष ....

मो.नं. 1 :—.. मो.नं.2:— ....

सी.एस.टी. नंबर :— ....(अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

निविदाकर्ता/फर्म का पैन नंबर :— ....(अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

अमानत राशि का विवरण :—

राशि रूपये :— 5,000/— (पॉच हजार रूपये)

डी.डी. कमांक (डिमांड ड्राफ्ट) ....

दिनांक :— ....

बैंक का नाम :— ....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नोट :— यह प्रपत्र मूलतः हस्तलिखित भर कर निविदा में संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

परिशिष्ठ "ब" –1

घोषणा पत्र

1. यह कि हमारी संस्थान को इस निविदा के तहत प्रदाय की जाने वाली समस्त सेवाओं के लिये किसी भी संस्थान/व्यक्तिगत विशेष के द्वारा मुकदमेंबाजी एवं आरोप नहीं लगाया गया है।

2. यह कि हमारी संस्थान को किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम द्वारा अपात्र सूची में नहीं है।

3. निविदा में दर्शित समस्त नियम एवं शर्तो को हमारी संस्थान द्वारा मान्य किया जावेगा।

नाम ....

पता..

....

मोबा. नं. ....

नोट–उपरोक्त घोषणा पत्र में दर्शित नियम एवं शर्तों को निविदाकर्ता द्वारा राशि 50/– के स्टाम्प पेपर पर सहमति देना अनिवार्य होगा।

परिशिष्ठ "ब" –2

सहमति पत्र

मैं .... प्रो./संचालक फर्म का नाम.................................. .... पता .... दिनांक .... को कार्यालय जिला पंचायत गरियाबंद में भाव पत्र प्रस्तुत किया हूँ। मैं सहमति प्रदान करता हू। कि आवश्यकता के आधार पर मैं अपनी फर्म का वाहन तत्काल कार्यालय में उपलब्ध करने हेतु बाध्य रहूंगा। यदि किसी कारण वश उपलब्ध नहीं करा पाता हूँ तो L-1 के आधार पर अन्य फर्म/संस्था से वाहन लिये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी एवं किसी भी परिस्थिति में कार्यालय जिला पंचायत गरियाबंद द्वारा गठित कय समिति का निर्णय मान्य किये जाने हेतु बाध्य रहूंगा।

हस्ताक्षर ....

स्थान ....

1. गवाह ....

2. गवाह ....

दिनांक ....

परिशिष्ठ "स"

कार्यालय जिला पंचायत गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

हैवी वाहन किराये हेतु निविदा के वित्तीय दर भरे जाने का प्रारूप :–

नोटः–

1. निविदाकर्ता को ध्यान में रखना चाहिए कि निविदा दर स्पष्ट अक्षरों में तथा भारतीय रूपये में लिखा जाना चाहिए।

2. किसी भी अन्य शर्तों के लिए जिसका उल्लेख किया जाना निविदाकर्ता आवश्यक समझता है, निविदा में उल्लेख आवश्यक रूप से करे।

3. निविदा प्रपत्र के विभागीय कमांक का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा जो कि जिला पंचायत गरियाबंद द्वारा आवेदन विकय के दौरान आवेदन पर उल्लेखित किया जावेगा।

निविदा प्रपत्र का विभागीय कमांक :–

क्र.	वाहन का प्रकार	दर प्रति किलोमीटर
1	2	3
1	35 सीटर बस	
2	38 सीटर बस	
3	40 सीटर बस	